[2022] 6 एस. सी. आर 1132

व्येथ लिमिटेड एवं अन्य

बनाम्

बिहार राज्य और एक अन्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1224)

11 अगस्त, 2022

[इंदिरा बनर्जी और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** न्यायाधीशगण**]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करना-कब आयोजित किया गयाः शिकायत को तब रद्द किया जाना चाहिए जब शिकायत को सावधानीपूर्वक पढ़कर कोई अपराध नहीं पाया जाता है-तथ्यों पर, प्रत्यर्थी सं.2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत निजी शिकायत दाखिल की जो भा.दं.सं. की धाराएँ 406,420,408,460,471,384,311,193,196/120-बी के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी के पंजीकरण के लिए न्यायालय द्वारा धारा 156(3) के तहत पुलिस को संदर्भित किया गया- ..शिकायत को पढ़ने से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत किए गए अपराधों में से कोई भी सामग्री नहीं है, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राथमिकी कैसे दर्ज की गई और आरोप पत्र दायर किया गया-शिकायत ने स्वयं एक वाणिज्यिक संबंध जो टूट गया था के अलावा और कुछ नहीं बताया, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 के लिए दंड संहिता के पाठ में उपयोग की गई भाषा को केवल जोड़कर अपनी शिकायत का दायरा बढ़ाना संभव नहीं था-इसके अलावा, अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रतिवादी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था, अदालत प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए आदेश प्राप्त किया था और एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द करने से इन्कार कर दिया था, एवं केवल इसके बाद ही प्रत्यर्थी सं.2 ने उक्त शिकायत दायर करना पसंद किया-साथ ही, उच्च न्यायालय से आरोप-पत्र दायर करने के बाद के विकास एवं मूल याचिका के आरोप-पत्र रद्द करने के प्रार्थित राहत को शामिल करने को अभिलेख पर लाने के लिए आवेदन की देखी-अनदेखी करने मे गलती की अतः अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी एवं आरोप पत्र रद्द किए गए।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:2022 का आपराधिक अपील संख्या- 1224

2014 का आपराधिक विविध सं. 13742 में पटना में बिहार के उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के दिनांकित 14.05.2018 के निर्णय एवं आदेश से।

मुकुल रोहतगी, गोपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह, समित रोहतगी, सुश्री अलका सिन्हा, अमित कुमार, विवेक कुमार सिंह, अनुव्रत शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साकेत सिंह, सुश्री सौम्या श्री, अजमत अमानुल्लाह, श्रीमती निरंजना सिंह, शौर्य लांबा, आकाश भुइयां, रुश्टे सलूजा, रंजन कुमार पांडे, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन

1. अनुमति दी गई।

2. पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार द्वारा दूसरे प्रतिवादी के कहने पर दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (संक्षेप में "दं.प्र.सं.") के तहत एक याचिका को खारिज करते हुए पारित एक आदेश से व्यथित, अपीलार्थी उपरोक्त अपील के साथ आए हैं।

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, बिहार राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी वकील, जो शिकायतकर्ता थे, को सुना।

4. प्रत्यर्थी सं. 2 को अपीलार्थी सं.1 द्वारा इसके वहन और अग्रेषण एजेंट (सी एंड एफ) के रूप में, कुछ नियमों और शर्तों पर, लिखित रूप में घटाया गया।यह समझौता समय-समय पर फरवरी-2012 तक जारी रहा।

5. इसके बाद अपीलार्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच विवाद उत्पन्न हुए जिसके कारण अपीलार्थी संख्या 1 ने 2012 के सी. एस. सं.1432 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार की संचिका पर एक दीवानी मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में, उच्च

न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 1 से संबंधित दवाओं सहित सामान को अपने कब्जे में लेने के लिए एक कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया, जो प्रतिवादी सं. 2 के कब्जे में थे। .ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट रिसीवर ने वारंट को निष्पादित किया है और कुछ वस्तुओं का कब्जा बरामद किया है, जिनका विवरण हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

6. दीवानी मुकदमा दायर करने के अलावा, अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 406 और 420 के तहत कथित अपराधों के लिए आपराधिक शिकायत भी दर्ज की। दिनांक 14.08.2013 के एक आदेश द्वारा, पटना के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और प्रतिवादी संख्या 2 को समन जारी किया।

7. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने पटना के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।12.12.2013 को, पटना के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित कर शिकायत की प्रति को पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन को भेजने का निर्देश दिया, जिसमें अपीलार्थियों के खिलाफ एक प्राथमिकी पंजीकृत की जाए।उक्त आदेश के अनुसार, पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन ने अपीलार्थियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 406,420,408,460,471,384,311,193,196 साथ पठित 120-बी के तहत कथित अपराधों के लिए 07.01.2014 को 2014 का अपराध सं.17 प्राथमिकी में दर्ज की ।

8. इस प्रकार दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार की संचिका पर 2014 की आपराधिक विविध याचिका सं. 13742 में एक याचिका दायर की, जिसमें इसे रद्द करने की मांग की गई।जब उक्त याचिका वर्ष 2018 में अंतिम सुनवाई के लिए आई, तो अदालत को सूचित किया गया कि पुलिस पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान लिया है।

9. उपरोक्त के रूप में बाद के विकास के आलोक में, पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार ने रद्द करने की याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि मामले को आगे लंबित रखना उचित नहीं था।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता

संख्या 1 ने आरोप-पत्र को रिकॉर्ड में लाने और आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना को शामिल करने के लिए 2014 के आई. ए. सं. 1015 में एक आवेदन दायर किया, दलीलों के गुण-दोष में जाने का विकल्प नहीं चुना।

10. अपनी रद्द याचिका के इस तरह के निपटारे से व्यथित, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष हैं।

11. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री गोपाल जैन का प्राथमिक तर्क हैः(i) कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर की गई शिकायत किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है; (ii) कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर की गई शिकायत केवल अपीलार्थी सं. 1 द्वारा दायर दीवानी मुकदमे और प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ अपीलार्थियों द्वारा दर्ज की गई आपराधिक शिकायत के लिए केवल एक जवाबी विस्फोट थी; (iii) कि उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लाने और आरोप पत्र को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना को शामिल करने के लिए एक आवेदन के लंबित होने की अनदेखी की।

12. जवाब में, प्रत्यर्थी नंबर 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरेंद्र हुड्डा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हालांकि अपीलकर्ताओं ने आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद के विकास को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एव आरोप पत्र रद्द करने के लिए एक प्रार्थना को शामिल करने के लिए भी एक आवेदन दायर किया था । अपीलकर्ताओं ने रद्द करने की याचिका की सुनवाई के समय उसी के लिए दबाव नहीं डालने में लापरवाही बरती।प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने अंतर्वर्ती आवेदन में आदेश के लिए दबाव डाले बिना कई मौकों पर स्थगन की मांग की और इसलिए न्यायालय ने रद्द करने की याचिका को लंबित रखना उचित नहीं पाया, जिससे मुकदमे में बाधा उत्पन्न हुई।

13. प्रतिद्वंद्वी दलीलों में जाने से पहले, दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना की संचिका पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर एक नज़र डालना उचित होगा, जिसने दंडाधिकारी के लिए दं.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत एक आदेश पारित करने, पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने और आरोप पत्र दायर करने की नींव बनाई।संक्षेप में, उक्त शिकायत में जो आरोप लगाया गया था वह इस प्रकार थाः-

(i) कि प्रतिवादी संख्या 2 विभिन्न दवा कंपनियों के लिए समाशोधन एवं अग्रेषणकर्ता है;

(ii) कि अपीलार्थी संख्या 1 ने गोदाम में दवाओं के भंडारण, वितरण और सरकार के साथ पत्राचार सहित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपने समाशोधन और अग्रेषण कर्ता के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 2 की सेवाओं को किराये पर लिया।

(iii) कि अपीलार्थी संख्या 1 ने एक अन्य कंपनी का अधिग्रहण किया जिसने पटना कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में स्थित एक गोदाम किराए पर ली थी ।

(iv) कि अपीलार्थियों के आग्रह पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी संख्या 1 के उत्पादों के वितरण के लिए मानवशक्ति प्रदान की और उन्होंने अपीलार्थी संख्या 1 के प्रबंधकीय कर्मचारियों की देखरेख में काम किया;

(v) कि इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को कुछ सेवा शुल्क देय थे;

(vi) कि इस बीच गोदाम के लिए किराये का समझौता समाप्त हो गया और इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को गोदाम में दवाओं को संग्रहीत करने की अनुमति नहीं थी;

(vii) कि उसी के कारण, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित समझौता निष्क्रिय हो गया;

(viii) कि दिनांकित 26.11.2004 पूरक समझौते के माध्यम से, नई शर्तों को शामिल किया गया था;

(ix) कि पूरक समझौते के निष्पादन के समय, यह आश्वासन दिया गया था कि 01.04.2005 को और से, प्रतिवादी नं.2 गोदाम की अभिरक्षा रखते हुए पूरा काम उन्हें सौंपने का हकदार होगा;

(x) कि अपीलार्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 से रूपये 5,00,000/- की राशि में बैंक गारंटी भी ली।

(xi) कि प्रत्यर्थी सं.2 को बिना किसी पूर्व सूचना के, अपीलार्थी ने 2012 में गोदाम बंद कर दिया।

(xii) कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के पीछे अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा एक नए गोदाम समझौते में प्रवेश करने के बारे में पता चला;

(xiii) कि जब भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उनके पक्ष में मुख्तारनामा के निष्पादन का सवाल उठाया, तो अपीलकर्ताओं ने अभिकरण को समाप्त करने की धमकी दी, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रति वर्ष रुपये 2,00,000 दे देने के लिए बाध्य होना पड़ा।

(xiv) कि 2004 से 2012 तक मुख्तारनामा का निष्पादन न होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 सी एंड एफ कर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सका;

(xv) कि अपीलकर्ताओं ने गोदाम में रखे गए प्रतिवादी संख्या 2 का फर्नीचर और उससे जुड़ी हुई वस्तु का उपयोग किया।

(xvi) कि उन्हें सी एंड एफ कर्त्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए, अपीलकर्ताओं ने रुपया 12 लाख की मांग की, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने भुगतान करने से इनकार कर दिया;

(xvii) कि 28.02.2012 को, अपीलकर्ता संख्या 1 के क्षेत्रीय वितरण प्रबंधक ने गोदाम को बंद कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 को भारमुक्त्त किया।

(xviii) कि प्रतिवादी संख्या 2 का उपस्कार एवं उससे जुड़ी हुई वस्तु अभी भी गोदाम के अंदर हैं; और

(xix) कि उपरोक्त सभी कृत्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं ने एक साथ साजिश रची और धोखाधड़ी, जालसाजी और विश्वासघात के अपराध किए।

14. शिकायत को सावधानीपूर्वक पढ़ने से, जिसका सार हमने ऊपर निकाला है, यह पता चलेगा कि अपीलार्थियों के खिलाफ शिकायत किए गए किसी भी अपराध के कोई भी तत्व नहीं हैं। भले ही शिकायत में निहित सभी दृढ़ कथनों को सच माना जाता है, वे अपीलार्थियों के खिलाफ आरोपित अपराधों में से किसी को भी नहीं बताते हैं।इसलिए, हम नहीं जानते कि प्राथमिकी कैसे दर्ज की गई और आरोप पत्र भी दायर किया गया।

15. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क कि अदालत को गवाहों के बयान के साथ पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट पर ध्यान देना है, हमारे द्वारा स्वीकार किया जा सकता था, अगर पूरी बात पुलिस में दर्ज प्राथमिक सूचना से प्रकट होती।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वास्तव में दं.प्र.सं. धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की, जिसे अदालत ने धारा 156 (3) के तहत पुलिस को भेजा था।जब इस शिकायत ने स्वयं एक वाणिज्यिक संबंध जो टूट गया के अलावा और कुछ नहीं बताया, तो प्रतिवादी संख्या 2 के लिए भारतीय दंड संहिता के पाठ में उपयोग की गई भाषा को केवल जोड़कर अपनी शिकायत का दायरा बढ़ाना संभव नहीं है।

16. मान लीजिए कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने बॉम्बे में क्षेत्राधिकार संचिका पर एक दीवानी मुकदमा दायर किया था और गोदाम में पड़े सामान को अपने कब्जे में लेने के लिए न्यायालय प्राप्तकर्त्ता की नियुक्ति का आदेश भी प्राप्त किया था।अपीलार्थियों ने एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द करने से इनकार कर दिया था।अपीलार्थियों द्वारा दीवानी मुकदमा और आपराधिक शिकायत दायर करने के बाद ही प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी शिकायत दर्ज करने का फैसला किया।

17. उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद के विकास को रिकॉर्ड में लाने और मूल याचिका में आरोप पत्र को रद्द करने की राहत को शामिल करने के अनुरोध के लिए आवेदन की अनदेखी करने में स्पष्ट रूप से त्रुटियां की थी।

18. किसी भी पूर्वोदाहरण से समर्थन लेने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है, इस प्रस्ताव के लिए कि यदि शिकायत को सावधानीपूर्वक पढ़ने से कोई अपराध नहीं बनता है, तो शिकायत रद्द करने योग्य है।

19. इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द कर दिया जाता है।लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील स्वीकार किया गया।